

संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को० (निबंधन संख्या-1190248) ग्राम-रामपुर, पो०+थाना-बड़हड़ा, आरा, जिला-भोजपुर द्वारा काली सूची में दर्ज होने के विरुद्ध दायर अपील अभ्यावेदन (दिनांक 07.12.2023) के सापेक्ष सुनवाई के सम्बन्ध में:-

12/03/2024

आदेश

संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को० (निबंधन संख्या-1190248) ग्राम-रामपुर, पो०+थाना-बड़हड़ा, आरा, जिला-भोजपुर एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा उपस्थित।

प्रस्तुत मामला का संक्षिप्त इतिहास यह है कि संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को० ग्राम-रामपुर, पो०+थाना-बड़हड़ा, आरा, जिला-भोजपुर द्वारा कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन योजनाशीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 MR-N/22-23 Ara/40 (Tender ID- 122282) के तहत मकदुमपुर से बिंदगोवा कोइलवर बबुरा पथ में आमंत्रित निविदा में भाग लिया गया। उक्त संवेदक द्वारा यंत्र-संयंत्र से संबंधित गलत कागजात (प्रमाणक) अपलोड किये जाने के कारण मुख्य अभियंता-01 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1438 अनु० दिनांक 29.05.2023 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा का पत्रांक 403 अनु० दिनांक 29.05.2023 के द्वारा संवेदक के निबंधन को काली सूची में डलाने हेतु अनुशंसा की गयी।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 2935 दिनांक 05.06.2023 द्वारा संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को० से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया। तदालोक में सम्यक विचारोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3431 दिनांक 30.06.2023 द्वारा संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को० (निबंधन संख्या-1190248) ग्राम-रामपुर, पो०+थाना-बड़हड़ा, आरा, जिला-भोजपुर को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

संवेदक का पक्ष:- संवेदक रामजी सिंह एण्ड को० द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि निविदा में जो पेपर दिया गया था वो Retail Invoice था, जिसका इस निविदा में कोई आवश्यकता नहीं थी। भूलवश वर्ष 2011 में उसका बील इनके आई०डी० जिससे ये टेन्डर डालते हैं वह पहले से ही उस सिस्टम में रक्षित था। जिसे Retail Invoice टेन्डर के साथ भूलवश संलग्न कर दिया गया है। पाँच वर्षों का यंत्र-संयंत्र का कोई भी कागजात निविदा में वैध नहीं होता है। Retail Invoice तो दुकान पर जाकर बिना पैसे दिये आमतौर पर लिया जाता है, वो Tax Invoice नहीं होता है। निविदा में समर्पित Tax Invoice सही है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा द्वारा उपस्थित होकर अपने प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि संदर्भित योजना के निविदा में संवेदक मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को० द्वारा यंत्र-संयंत्र के रूप में India Scientific Corporation का Retail Invoice दिया गया था जो India Scientific Corporation के द्वारा सूचित किया गया है कि यह उनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।


प्रश्नगत मामले की सुनवाई अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.01.2024 को की गयी थी जिसमें संदर्भित मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 07 (सात) दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा को दिया गया था।

उक्त के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा के पत्रांक 79 दिनांक 29.01.2024 द्वारा संबंधित यंत्र-संयंत्र एवं प्रयोगशाला सामग्री के जाँच से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है:-

1. प्रमाणक में अंकित आपूर्तिकर्ता के पते की जाँच की गयी जिसमें पाया गया कि यंत्र-संयंत्र की रूप में संलग्न India Scientific Corporation से संबंधित कागजात वर्ष 2016 से संबंधित है, जो कि लगभग 08 (आठ) वर्ष पुराना है, जो कि Retail Invoice के रूप में है, जिसका प्रमाणक वर्तमान समय में स्पष्ट करना कठिन होगा।
2. उपर्युक्त के आलोक में प्रमाण में अंकित प्रयोगशाला उपकरणों की भौतिक रूप से जाँच की गयी एवं पाया गया कि अंकित सभी उपकरणों के साथ-साथ अन्य उपकरण भी कार्यकारी स्थिति में है। प्रमाणक के रूप में संलग्न Retail Invoice से संबंधित कागजात निविदा में आवश्यकता नहीं होने के उपरान्त भी अन्य कागजातों के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किया हुआ पाया गया। सभी प्रयोगशाला उपकरण इनके पास जाँच में उपलब्ध पाया गया। साक्ष्य स्वरूप Geotag फोटोग्राफ की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर इन्हें अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा तदनुसार विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 3431 दिनांक 30.06.2023 द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए इन्हें आदेश निर्गत की तिथि से इन्हें 02 (दो) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।


(पंकज कुमार शाल)
सचिव

**अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।**


ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-01-39/2023

1862

/पटना, दिनांक 09/04/24

निबंधित

प्रतिलिपि:- संवेदिका मेसर्स रामजी सिंह एण्ड को0 (निबंधन संख्या-1190248)
ग्राम-रामपुर, पो0+थाना-बड़हड़ा, आरा, जिला-भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-39/2023

1862

/पटना, दिनांक- 09/04/24

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-39/2023

1862

/पटना, दिनांक- 09/04/24

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-39/2023

1862

/पटना, दिनांक- 09/04/24

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-01-43/2023

1862

/पटना, दिनांक- 09/04/24

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव